न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रतन कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 98/2020 – निगरानी

1. भगवान सिंह पुत्र सुगन सिंह, निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. बरदू सिंह पुत्र जीवन सिंह मृतक के बजाय

1/1. चैन सिंह आत्मज बरदू सिंह राजपूत निवासी पीपली

1/2. भंवर कंवर पुत्री बरदू सिंह राजपूत पत्नि दीप सिंह राजपूत हॉल बबराणा तहसील बनेड़ा

1/3. गोपाल कंवर पुत्री बरदू सिंह राजपूत पत्नि भारत सिंह निवासीयान पीपली तहसील हमीरगढ़

2. शंकर सिंह आत्मज बरदू सिंह राजपूत निवासी पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

3. ग्राम पंचायत पीपली जरिये संरपच पीपली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत पीपली पं.स. सुवाणा जिला भीलवाड़ा की पत्रावली कमाक 17/2016–17 पट्टा संख्या 09 दिनांक 20.08.2016 की पालना मे पंचायत के संकल्प संख्या 01 दिनांक 07.11.2016 को ज़ारी पट्टे को निरस्त कराने बाबत्

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 02 ओर से

निर्णय

दिनांक 24.07.2024

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत, धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पीपली पंचायत समिति सुवाणा द्वारा नियम 157 (1) राज० पंचायत राज अधिनियम

अति. जिला कलक्टर

अवधि पेश है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा पत्रावली क्रमांक 17 सम्वत् 2016 दिनांक 20.08.2016 की पालना में दिनांक 07.11. 2016 को जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त जायदाद निगराकार एवं गैर निगराकार की संयुक्त आबादी भूमि है, जिसका विभाजन नही हो रखा है। अविभाजित जायदाद है एवं गैर निगराकार संख्या 2 है जिनके पिता गैर निगराकार संख्या 1 बरदु सिंह तत्समय जीवित थे एवं निगराकार के पिता सुगन सिंह भी बरदु सिंह के लड़के है जिसकी मृत्यू हो चुकी है एवं पट्टशुदा पुश्तैनी जायदाद बरदु सिंह के हिस्से में 1/2 हक हिस्सा एवं इसी प्रकार किशन सिंह पुत्र श्री नाथु सिंह का 1/2 हक हिस्सा स्थित है। किशनसिंह नाथु सिंह के स्व. सुगन सिंह को गोद रखा है व गोद पुत्र है। इस कारण से निगराकार का उक्त जायदाद में 1/2 हक हिस्सा निहीत है। इस कारण से गैर निगराकार संख्या 3 ग्राम पंचायत द्वारा कंमशः दो पट्टे पुश्तैनी होने से पत्रावली संख्या 17/2016–17 दिनांक 20.08.2016 एवं पत्रावली संख्या 18/2016–17 दिनांक 20.08.2016 अविभाजित पुश्तैनी आवासीय जायदाद के गलत तौर पर पट्टे जारी किये है, उक्त पट्टे ग्राम पंचायत पीपली द्वारा पंचायतराज नियमो की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से जारी किये गये है जो निरस्त योग्य हैं। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा पत्रावली क्रमांक 18 सम्वत् 2016 दिनांक 20.08.2016 की पालना में दिनांक 07.11. 2016 को जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि निगराकार व गैरनिगराकार एक ही परिवार के सदस्य होना स्वीकार है, लेकिन विवादित जायदाद आबादी भूमि संयुक्त नहीं होकर वर्षों पूर्व ही विभाजित हो चुकी है। संपूर्ण जायदाद बरदूसिंह की है

128

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी निगरानी मेमों एवं बहस में व्यक्त किया किया है कि प्रश्नगत पटटा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत किन्हीं भी नियमों की पालना नही की जाकर विधि विरूद्व पटटा जारी किया गया हैं। पटटे जारी करने से पूर्व आपत्ति जारी नही की गयी, मौका निरीक्षण नही किया गया इत्यादि। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मिसल पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करके नियमानुसार आपत्ति पत्र जारी कर एवं तीन वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवारकर विधि अनुसार पटटा जारी किया जाना इंगित होता हैं। इस प्रकार निगराकार द्वारा उठाये गये तथ्य निराधार एवं कोर कल्पित प्रतीत होते हैं।

निगराकारगण ने निगरानी मेमों में अंकित किया हैं कि सुगन सिंह, किशन सिंह के गोद पुत्र गया हुआ हैं। इस कारण निगराकार का प्रश्नगत जायदाद में 1/2 हिस्सा बनता हैं। इस संबंध में पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि निगराकार ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं, जिससे जाहिर हो सके कि सुगन सिंह, किशन सिंह के गोद पुत्र गया हुआ हों। सुगन सिंह के गोद पुत्र जाने के संबंध में विपक्षी द्वारा भी खण्डन किया गया हैं कि सुगन सिंह, किशन सिंह के गोद नही गये है। इस प्रकार प्रमाणिक दस्तावेजात के अभाव में सुगन सिंह का गोद पुत्र होना सिद्व नही होता हैं।

निगराकार का कथन की प्रश्नगत पटटा भूमि पर निगराकार एवं गैर निगराकार का सामूहिक रूप से कब्जा हैं, इस बाबत् गैर निगराकार ने भी अपने जवाब में अंकित किया हैं कि बरदूसिंह ने अपने तीनों पुत्रों में बंटवाडा कर रखा है तथा तीनों पुत्र अपने अपने हिस्से में काबिज हैं तथा उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, मौके पर जायदाद अविभाजित नही होकर तीन हिस्सों में विभक्त हैं। इस प्रकार निगराकार का यह कथन कि, गैर निगराकार द्वारा निगराकार को वादग्रस्त जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं, निराधार सिद्व होता हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत से मूल मिसल पत्रावली तलब किये जाने पर मिसल पत्रावली सही अथवा गलत होने के प्रमाण स्वरूप कोई दस्तावेजात निगराकार द्वारा पेश नही किये गये एवं न ही मिसल पत्रावली के खण्डन मे कोई अन्य

तथ्य व्यक्त किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 17/2016–17 दिनांक 20.08.2016 के जरिये पटटा संख्या 09 तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 1/1 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पीपली द्वारा मिसल संख्या 17/2016–17 दिनांकित 20.08.216 के जरिये पटटा संख्या 09 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत पीपली पंचायत समिति सुवाणा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)